<u>अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

संख्या-1587/9-3-21-612 / 2021

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ०प्र० लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग**-3** लखनऊः दिनॉक 18 अगस्त, **2021**

विषयः- उ०प्र० जल निगम के मृत कार्मिकों के आश्रितों को स्थानीय निकायों में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम के पत्र संख्या-846/अ-3- 2171 - कनिष्ठ सहायक (नियुक्ति) / 21, दिनॉक 06.08.2021, जो शासन को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के कुल लम्बित 276 प्रकरणों की सूची संलग्न करते हुए अन्य विभागों में मृतक आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सापेक्ष सेंटेज से प्राप्त आय से उ०प्र० जल निगम के कार्मिकों के वेतन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य देयों का भुगतान किया जाता है। उत्तर प्रदेश जल निगम की विभिन्न विभागों के स्तर से लम्बित देयता एवं कार्य क्षमता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुरूप कार्य प्राप्त न होने के कारण उत्तर प्रदेश जल निगम की आर्थिक स्थिति काफी विषम है।

3. उल्लेखनीय है कोविड- 19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई विकट परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के आश्रितों को समयबद्ध रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता पर सेवायोजित किया जाना है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम की विषम आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत जल निगम के कुल - 276 मृतक आश्रितों को नगरीय निकायों में रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नानुसार सेवायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) उत्तर प्रदेश जल निगम के मृतक कार्मिकों के आश्रितों को "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित)" के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार विभिन्न नागर निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाय ।

(**2**) यह व्यवस्था अपवाद स्वरूप केवल एक बार ही की जायेगी और इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जायेगा ।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम से सम्बन्धित मृतक आश्रितों का विवरण / अभिलेख प्राप्त कर उक्त निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम के 276 मृतक आश्रितों को नगरीय निकायों में प्राथमिकता के आधार पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना 07 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव,

संख्या एवं दिनॉक तदैव ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, शासन ।
3. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन |
4. अपर मुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन |
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।